संख्या-(06)305 /11-3-15-07(112)/97

प्रेषक,

प्रभु शंकर
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 06 फरवरी,2015

विषयः- उ0प्र0 वाणिज्य कर संग्रह अमीन सेवानियमावली में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वि0व0 संग्रह/अमीन सेवानियमावली/2013-14/337/वाणिज्य कर, दिनांक 05-09-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. उ0प्र0 वाणिज्य कर संग्रह अमीन सेवानिमयावली में संशोधन के क्रम में कार्मिक नियमावली सेल द्वारा निम्न पृच्छा की गयी हैः-

(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन के पश्चात् कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना दिनांक 15-12-2014 द्वारा समूह-ग के सीधी भर्ती के समस्त पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। फलस्वरूप संग्रह अमीन के पद पर 85 प्रतिशत सीधी भर्ती अब उक्त आयोग के माध्यम से की जायेगी। उक्त अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर प्रशासकीय विभाग सहमत होना चाहें।

उपर्युक्त स्थिति में प्रश्नगत सेवा नियमावली 1995 के नियम-3 में यथास्थान नया क्लाज लाकर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 'आयोग' के रूप में पारिभाषित करना होगा।

(2) सेवा का संवर्ग संबंधी नियम-4 के संशोधन में समस्त पदों का राज्य स्तरीय संवर्ग होने का प्रावधान किया गया है। इसकी पुष्टि पत्रावली पर भी कर दी जाय।

(3) भर्ती का स्रोत निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं-

संग्रह अमीन के पद को 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा तथा 15 प्रतिशत पदों को मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संग्रह अनुसेवकों की पदोन्नति से भरा जायेगा जो हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हों और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों वर्तमान में भी सीधी भर्ती और पदोन्नति का कोटा उक्तानुसार ही है।

यह यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी आलेख के साथ संलग्न हिन्दी आलेख में उक्त अर्हकारी सेवा 05 वर्ष ही प्रथम संशोधन में निर्धारित है। अतएव इस बिन्दु को देख लिया जाय।

संग्रह पर्यवेक्षक के नये पद को शत प्रतिशत संग्रह अमीनों की पदोन्नति से भरा जायेगा जो स्थायी हों और जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि स्थायी होने की शर्त के स्थान पर वर्तमान नीति के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त होने की शर्त रखी जानी चाहिए। पूर्व में भी यह बात संज्ञान में लायी गयी है।

संग्रह अधीक्षक के नये पद को शत प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त संग्रह पर्यवेक्षकों, जिन्होंने इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो की पदोन्नति से भरा जायेगा।

उपर्युक्त प्रस्तावित भर्ती के स्रोत पर इंगित बिन्दुओं के परीक्षणोंपरान्त वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 की सहमति प्राप्त कर ली जाय।

(4) वर्तमान में सीधी भर्ती की उच्चतर आयु 40 वर्ष निर्धारित है, अतएव तद्नुसार आयु संबंधी नियम-10 को संशोधित करना होगा।

(5) जैसा कि ऊपर बिन्दु (।) में उल्लिखित किया गया है, संग्रह अमीन का पद अब सीधी भर्ती हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आ गया है और आयोग के माध्यम से ही सीधी भर्ती होगी। अतएव रिक्तियों का अवधारण संबंधी नियम-14 संशोधित होगा। इस पद के नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित रेन्ज के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) निर्धारित किये जा रहे हैं।

उपर्युक्त स्थिति में, सेल के मत में, किसी चयन वर्ष में अलग-अलग नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सीधी भर्ती हेतु अलग-अलग अधियाचन उक्त आयोग को भेजने के स्थान पर सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा रिक्तियों की सूचना कमिश्नर, वाणिज्य कर (विभागाध्यक्ष) को प्रेषित किया जाना उपयुक्त होगा तथा कमिश्नर चयन वर्ष की इस प्रकार प्राप्त रिक्तियों के आधार पर संहत रूप से पूरे विभाग का सीधी भर्ती का अधियाचन आयोग को प्रेषित कर देंगे। प्रशासकीय विभाग इस पर सम्यक रूप से विचार कर निर्णय लेना चाहें।

(6) संग्रह अमीन के पद पर सीधी भर्ती अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। इस स्थिति में सीधी भर्ती की प्रक्रिया संबंधी नियम-15 को संशोधित कर उसे उक्त आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया के नियम के रूप में लाया जाना होगा। इस हेतु प्रशासकीय विभाग को निर्णय लेना है कि इस पद पर चयन का आधार ''केवल लिखित परीक्षा'', ''लिखित परीक्षा और साक्षात्कार'' तथा ''केवल साक्षात्कार'' में से क्या होगा। केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन कराया जाना पारदर्शिता और निष्पक्षता के दृष्टिगत उपयुक्त नहीं होगा। यथा निर्णय नियम-15 (संशोधित) आलेखित किया जायेगा जिसका प्रारूप ''माडल-ड्राफ्ट'' में उपलब्ध है।

अग्रतर, ऊपर बिन्दु (5) में उल्लिखित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यदि प्रशासकीय विभाग यह निर्णय लेते हैं कि पूरे विभाग का अधियाचन विभागाध्यक्ष के स्तर से आयोग को प्रेषित किया जायेगा तो, संशोधित नियम-15 के अन्तिम उप-नियम में, अन्त में, यह प्रावधान किया जायेगा कि आयोग चयन सूची को विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेंगे जो संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को सूची से मेरिट के क्रम में अपेक्षित संख्या में नामों को नियुक्ति हेतु अग्रसारित करेंगे। प्रशासकीय विभाग निर्णय लेखा चाहें।

अग्रतर यह भी कि संशोधित नियम-15 में प्रतीक्षा सूची बनाए जाने संबंधी प्रावधान वर्तमान नीति के अनुसार नहीं रखा जायेगा।

(7) पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया संबंधी नियम-16 के उप-नियम (।) को भी इस कारण से संशोधित करना होगा कि पदोन्नति द्वारा भर्ती का आधार कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994'' (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होता है।

(8) ज्ञातव्य है कि कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा अध्यारोही प्रभाव की ''उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013'' प्रख्यापित कर दी गयी है। परिवीक्षा के संबंध में उक्त परिवीक्षा नियमावली, 2013 के उपबन्ध लागू होते हैं। अतएव परिवीक्षा संबंधी नियम-20 भी संशोधित होगा।

(9) दो नये पद आ जाने तथा वर्तमान वेतनमानों का समावेश किये जाने के दृष्टिगत वेतनमान संबंधी नियम-23 को संशोधित किया जायेगा।

वर्तमान में सेवा नियमावली में संग्रह अमीन के पद का वेतनमान वर्ष 1995 में लागू वेतनमानों के अनुसार रू0 950-1500 उल्लिखित है। उक्त वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 तथा ग्रेड वेतनमान रू0 1900/- है। आलेख में ग्रेड वेतन रू0 2000/- अंकित किया गया है। अतएव संग्रह अमीन के वेतनमान की पुष्टि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 से करा ली जाय।

(10) स्थानान्तरण संबंधी नये लाये जा रहे नियम-30 के प्रावधानों की पुष्टि उनका उल्लेख करते हुए पत्रावली पर कर दी जाय।

(11) परिभाषा संबंधी नियम-3 के संशोधन में संग्रह अमीन, संग्रह पर्यवेक्षक तथा संग्रह अधीक्षक के पदों के नियुक्ति प्राधिकारी क्रमशः ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), एडीशनल कमिश्नर (मुख्यालय) जो कलेक्शन

सेक्शन का कार्य देखते हैं तथा कमिश्नर (विभागाध्यक्ष) निर्धारित किये जा रहे हैं। प्रशासकीय विभाग उक्त की पुष्टि पत्रावली पर कर देंगे।

(12) दो नये पद सम्मिलित होने के कारण अब प्रश्नगत सेवा नियमावली का शीर्षक ''द उत्तर प्रदेश कॉमर्शियल टैक्स कलेक्शन कैडर सर्विस रूल्स'' के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इसकी भी पुष्टि पत्रावली पर कर दी जाय।

3. उक्त पृच्छाओं के अनुरूप कार्मिक सेवानियमावली सेल द्वारा तैयार संशोधित सेवानियमावली के प्रारूप की छायाप्रति सलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पृच्छाओं के संबंध में बिन्दुवार आख्या एवं प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां तैयार कर (पेन ड्राईव/सी0डी0 सहित) शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(प्रभु शंकर)
संयुक्त सचिव।